संख्या-120/2016/2524/सैंतीस-2-2016-1(15)/11

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 दिसम्बर, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा पुनर्वैधीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत पूंजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-320/सा0-1/एक्स-84/ईएसवीएचडी-सी.एस./2016-17, दिनांक-10.11.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु पुनर्वैध किये गये केन्द्रांश रू0-52.091 लाख के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत अनुमोदित द्वितीय चरण के 06 पशु चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्न विवरणानुसार रू0-49.4547 लाख (रूपये उन्चास लाख पैंतालिस हजार चार सौ सत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	पशुचिकित्सालय का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	इटावा	जसवंत नगर	रा.प.चि. जसवंत नगर	8.6600
2	इटावा	सैफई	रा.प.चि. सैफई	8.6600
3	लखीमपुर खीरी	पलिया	रा.प.चि. पलिया	8.6600
4	लखीमपुर खीरी	निघासन	रा.प.चि. निघासन	8.6600
5	लखीमपुर खीरी	धौरहरा	रा.प.चि. धौरहरा	8.6600
6	उन्नाव	पुरवा	रा.प.चि. पुरवा	6.1547
योग-				**49.4547**

(रूपये उन्चास लाख पैंतालिस हजार चार सौ सत्तर मात्र)

1. उपरोक्त पशु चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 'उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0' को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।
2. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश की जारी की जा रही है।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत उपलब्ध परिव्यय की सीमा तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार अनुमोदित मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध केन्द्रांश की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक तथा निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित प्रयोजन, वस्तुतः जिन कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी में किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
9. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-120/2016/2524(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव (एल.एच.), भारत सरकार, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मँत्रालय, नई दिल्ली।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।